

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

-अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

-अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

.....राजस्व विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06.10.2017

1. अपीलार्थीगण व्यवहारी/राजस्व द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा निम्न तालिकानुसार पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने/अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

कर बोर्ड की अपील संख्या	अपीलीय आदेश सं. एवं दिनांक	क.नि.आ. दिनांक	क.नि.वर्ष	आरोपित (राशि ₹ में)		
				अन्तर कर	ब्याज	शास्ति
317/2014	373/07.02.14	31.01.2013	2008-09	3,02,066	1,57,074	
318/2014	374/07.02.14	31.01.2013	2009-10	6,40,200	2,58,935	
319/2014	375/07.02.14	31.01.2013	2010-11	6,49,075	1,92,061	
320/2014	376/07.02.14	31.01.2013	2011-12	7,87,164	1,36,795	
321/2014	377/07.02.14	31.01.2013	2012-13	1,21,973	9,853	
1032/2014	373/07.02.14	31.01.2013	2008-09			6,04,132
1033/2014	374/07.02.14	31.01.2013	2009-10			12,94,674
1034/2014	375/07.02.14	31.01.2013	2010-11			13,71,862
1035/2014	376/07.02.14	31.01.2013	2011-12			17,09,912
1036/2014	377/07.02.14	31.01.2013	2012-13			2,81,508

लगातार.....2

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "जॉच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं रिकॉर्ड की जांच पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि. द्वारा निर्मित कन्फेक्शनरी गुड्स एवं चोको प्रोडक्ट्स की खरीद-बिक्री का कार्य किया जाता है।
4. व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल के प्रस्तुत पेपर्स पर अंकित Ingredients & Contains में उत्पादन संबंधी अंकित विवरण की जॉच पर पाया कि ये उत्पाद ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी गुड्स एवं चोको प्रोडक्ट्स होने के कारण अधिनियम की अनुसूची-चतुर्थ के तहत करयोग्य नहीं होने तथा वैट अनुसूची-पंचम के तहत सामान्य कर दर 14 प्रतिशत से करयोग्य होना मानते हुये व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा 9 प्रतिशत अन्तर कर संग्रहित/जमा कराया जाना नहीं पाया, जिसके फलस्वरूप सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने 'Prosecutor should not be judge' की अवधारणा के तहत पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी।
5. कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली, उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रोडक्ट्स के रेपर्स का अवलोकन किया जिसमें पाया कि व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रोडक्ट्स ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी गुड्स एवं चोको के Indredients को देखने पर यह माल Sugar Candy made of Sugar & Glucose नहीं पाया। कन्फेक्शनरी गुड्स एवं चोको प्रोडक्ट्स ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है इसमें चोकलेट है जिसे अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 में Exclude किया गया है। व्यवहारी के विवादित उत्पाद 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' प्रविष्टि संख्या 163 अनुसूची-चतुर्थ के तहत करयोग्य नहीं पाये गये। व्यवहारी ने ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी का आलौच्य अवधियों में की गई बिक्री (Eclairs) के अतिरिक्त किया है तथा Sugar Candy made of sugar मानकर 5 प्रतिशत से कर संग्रहित किया है, जबकि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 से पृथक की गयी है, जिसके फलस्वरूप यह अनुसूची-पंचम के तहत आलौच्य अवधि में 14 प्रतिशत से करयोग्य माल होने के कारण व्यवहारी के द्वारा गलत निर्वचन किया तथा बिक्री विवरणियों में कर दर की गलत घोषणा करके 9 प्रतिशत से राजकोष में कम कर अदा करते हुए परिवर्जन व अपवंचन किया जाना प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को अधिनियम की धारा 25, 26, 55 व 61 के तहत नोटिस जारी किये एवं प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुये उपरोक्त तालिकानुसार मांगे सृजित की, उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनको शास्ति के बिन्दु पर स्वीकारते हुये कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी एवं विभाग द्वारा उक्त अपीलें/क्रास ऑब्जेक्शन अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई है।
6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।
7. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि उनके द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' के तहत आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारी की ओर से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया जा रहा है। विद्वान अभिभाषक ने कथन

लगातार.....3

किया कि अधिनियम लागू होने के समय अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 'Confectionery excluding chocolate' थी, जो दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से संशोधित होकर Excluding branded Confectionery हुआ तथा दिनांक 01.06.2006 से नई प्रविष्टि संख्या 163 आयी 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार कुछ उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तदनुसार कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar Candies made of Sugar and glucose and containing Flavours, Creame and colors को स्पष्टतः पृथक् नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने लेब रिपोर्ट दर्शाते हुये कथन किया कि इसके उत्पाद में 90 प्रतिशत से अधिक शुगर है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudevudutta Vksss Margyadit and others Vs. State of Maharashtra and others 2001 (004) SSC - 0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित किया। साथ ही उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने है तथा नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulisifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषक ने सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर, 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन-1 में मीठी गोली जिसमें 90 प्रतिशत शुगर को कन्फैक्शनरी नहीं, बल्कि शुगरकेण्डी माना है। विद्वान अभिभाषक ने अतिरिक्त आयुक्त का धारा 12-ए आरएसटी एक्ट का आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राइजेज कोटा का दृष्टान्त देते हुए Lozenges Toffee को मीठी गोली माना जाना एवं विभाग पर बाध्यकारी होना बतलाया है। उन्होंने कतिप्रय लैबोरेट्री की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

अपने तर्कों के समर्थन में इनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक व्यवस्थायें प्रस्तुत की गई:-

1. [Supreme Court of India] Frick India Limited Vs State of Haryana May 13, 1994.
2. [In The Supreme Court of India] (2009) VST 249 (SC) Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu April 21, 2009
3. [Supreme Court of India] J.K. Synthetics Ltd. Vs Comm. Taxes Officer (C.A. Nos. 3414 to 3416 of 1982) Birla Cement Works Vs State of Rajasthan May 9, 1994.
4. [2012] 51 VST 130(Mad) [In The High Court] Cadbury India Limited Vs Assistant Commissioner (CT), Chennai July, 2009
5. [In The High Court of Karnataka At Bangalore] Kundanamal Ganeshmal And Borthers Vs State of Karnataka February 12, 1993.
6. [2012] 48 VST 107 (AP) [In The Andhra Pradesh High Court] Banyan Enterprises Vs Commercial Tax Officer August 24, 2011.
7. [2017] 98 VST 172 (Bom.) [In The Bombay High Court] Zamil Steel Buildings India Pvt. Ltd. Vs State of Maharashtra December 23, 2016
8. [In The High Court of Rajasthan At Jodhpur] Black Stone Rubber Industries Pvt. Ltd. Vs State of Rajasthan February 19, 2001.
9. [2011] 39 VST 184(All) [In The Allahabad High Court] Kesar Enterprises Ltd. Vs State of U.P. August 27, 2010/
10. [2011] 43 VST 222(All) [In The Allahabad High Court] Dabur India Limited Vs State of U.P. December 6, 2010/
11. [In The Allahabad High Court] Harbans Lal Malhotra Vs Assistant Commissioner Ghaziabad July 28, 1994
12. [In The High Court of Kerala At Ernakulam] New Prasanthi Automobiles Co. Vs State of Kerala September 26, 1992.
13. Reportes of Sales Tax Cases Vol. 146 2006 [High Court of Madhya Pradesh] Commissioner of Commercial Tax, Indore Vs Modern Agency October 25, 2004.
14. [In The High court of Rajasthan] Jaipur Bench Cycle Hatt of Jaipur Vs The Board of Revenue May, 13, 1977.
15. [2007] 5 VST 197 (All) [In The Allahabad High Court] Carbon Crafts Pvt. Ltd. Vs state of U.P. December 13, 2005.

16. In The High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur Commercial Taxes Officer Vs Ms Heera Lal Murlidhar Bikaner Date July 2, 1992.

अतः उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों एवं क्रास आब्जेक्शन को स्वीकारते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेली इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेशनरी की बिक्री पर सामान्य कर दर निर्धारित की है एवं आरोपित ब्याज को बहाल किया है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम सरकार (2009) 23 VST 249 (SC) के परिप्रेक्ष्य में आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय इन प्रकरणों पर आच्छादित बतलाते हुये उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा कन्फेशनरी गुड्स एवं चोको प्रोडक्ट्स की खरीद-बिक्री राज्य में की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने जाँच में यह भी पाया कि इसके निर्माण हेतु Sugar, Liquid Glucose, Condensed Sweetened Milk (16.9%) Butter(Fat), Vegetable Oil, edible common Salt, malt extract, Colours, Flavor, antioxidants, Acidity regulators आदि ingredients का उपयोग किया गया है जिनकी ब्लेडिंग (Confection) से ये कन्फेशनरी तैयार की गयी है एवं इन सभी उत्पादों के रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क प्राप्त किये गये हैं। सशक्त अधिकारी ने लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया कि व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फेशनरी का विक्रय किया गया है।

10. व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित उत्पाद की बिक्री होने पर व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल Sugar Candy नहीं होकर ब्राण्डेड कन्फेशनरी होना सिद्ध होता है। निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में समस्त तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये व्यवहारी द्वारा की गई विवादित बिक्री को ब्राण्डेड कन्फेशनरी प्रोडक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है एवं अधिनियम की अनुसूची-V के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में उपरोक्त तालिकानुसार करारोपण किया है, वह विधिनुकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने समान तथ्यों पर विवादित कन्फेशनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेली इण्डिया प्रा.लि., जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017 में दिये गये निर्णायक निर्णय में सुस्थापित किया है कि :-

"In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unison is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."

लगातार.....5

माननीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल/समान प्रकृति के माल की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, जिसके हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः लागू होने से कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

11. जहां तक शास्ति का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 21.04.2009 प्रकरण श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) का शास्ति के संबंध में निर्णायक अंश निम्न प्रकार है :-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands aside."

12. इसी प्रकार शास्ति के संबंध में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय S.B.SALES TAX REVISION/REFERENCE No. 473/2011 M/S Perfetti Van Melle India Pvt. Ltd Vs. CTO Order dated 17.02.2017 में बताया गया है कि

"After taking into consideration the facts noticed, in my view it is not a case where penalty is exigible particularly taking in view the fact that even during the course of survey and after investigation, the only issue remained whether the cases of assessee fall in one Entry (Schedule-IV), or residuary Entry in Schedule-V and thus being a highly debatable issue the penalty was rightly deleted by the Tax Board. The Apex court in the case of Sree Krishna Electricals v. State of Tamil Nadu & Another (2009) 23 VST 249 (SC), has held that in a case like this where entries are to be considered or a case of classification, penalty is not leviable and thus court has also taken the same view in CTO v. M.s. Durgeshwari Food Ltd. (2012) 32 TUD 3, and CTO v. M/s, Bambino Agro Industries Ltd. (2006) 90 VST 22 (Raj)."

चूंकि उक्त प्रकरण वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित था, जो शुरू से ही विवादित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक से जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने समस्त बिक्री विवरणियों में दर्शाया है, आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में भी शास्ति को अपास्त करना विधिक माना है। तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

13. उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुये व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया जाता है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

14. परिणामस्वरूप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त दस अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जेन)
सदस्य